



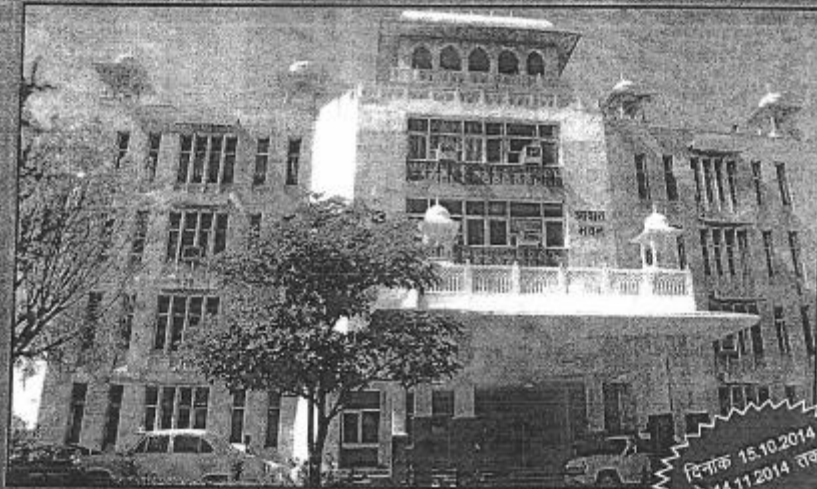
राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना (द्वितीय चरण) वर्ष-2014

चौपासनी आवासीय योजना के
उद्यान अपार्टमेन्ट, जोधपुर में

मध्यम आय वर्ग-ब एवं उच्च आय वर्ग (बी+एस+9) के फ्लैटों हेतु

(संगी आवेदकों हेतु)



दिनांक 15.10.2014
से 14.11.2014 तक



वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

“ मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना ”

राजस्थान आवासन मण्डल

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और आवास/फ्लैट बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- आवास/फ्लैट के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के आवास/फ्लैट के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में आवास/फ्लैट आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे आवास/फ्लैट में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का आवास/फ्लैट खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्कसंगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद-रूप से मंडल के आवास/फ्लैट सस्ते पड़ते हैं।



राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना (द्वितीय चरण) वर्ष-2014

चौपासनी आवासीय योजना के उद्यान अपार्टमेन्ट, जोधपुर में

मध्यम आय वर्ग-ब एवं उच्च आय वर्ग (बी+एस+9) प्लेटों हेतु

(सभी आवेदकों हेतु)

प्रस्तावित कार्यक्रम

- | | |
|--|--|
| 1. आवेदन-पत्र की दिक्ती तिथि : | 15.10.2014 से 14.11.2014 तक |
| 2. आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: | 14.11.2014 |
| 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु
अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : | अंतिम तिथि के पश्चात्
मंडल की वेबसाइट |
| 4. अस्थाई सूची पर आसेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: | www.rhbonline.rajasthan.gov.in |
| 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची
के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : | पर सार्वजनिक सूचना जारी की
जावेगी। |
| 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान | |

सम्पर्क सूत्र

मुख्य सम्पर्क प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ ज्योति नगर, जोधपुर - 302015 फोन नं. : 0141-2740667	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त द्वितीय, सैक्टर-11, चौपासीन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर फोन नं. : 0291-2711912	आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, सैक्टर-11, चौपासीन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर फोन नं. : 0291-2700180
--	--	---

विशेष:

- आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट से ऑन-लाईन ही भरे जावेंगे या रु. 30/- का भुगतान कर लोक मित्र के कार्टर्स से भी भरे जा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक राशि आवेदक सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / क्रेडिट कार्ड के माफत जमा करवा सकता है या चालान प्रिन्ट कर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3371326315 आई.एफ.एस.सी. कोड **CBIN0283291** में किसी भी सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में जमा करवा सकते हैं।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:-

1. जिस आय वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट, जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करवा दी गई है एवं उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ली गई है।
2. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर अपलोड कर दिये हैं।
3. आवेदन-पत्र पर अपनी नवीनतम फोटो अपलोड कर दिये हैं।
4. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है, भर दी गई है।
5. आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार वरीयता लॉटरी में सफल होने पर उक्त बिन्दु में अंकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति / नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मण्डल के निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराते हुए प्रस्तुत कर दूंगा / दूंगी। मेरे द्वारा उक्त प्रपत्र में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में मण्डल मेरा पंजीकरण बिना किसी सूचना के निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।



राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निर्बंधन एवं शर्तें
स्ववित्त पोषित योजना (द्वितीय चरण) वर्ष-2014

चौपासनी आवासीय योजना के उद्यान अपार्टमेंट, जोधपुर में

माध्यम आय वर्ग-ब एवं उच्च आय वर्ग (सी+एस+9) के फ्लैटों हेतु

(सभी आवेदकों हेतु)

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास/फ्लैट बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

“स्ववित्त पोषित योजना वर्ष-2014” का विवरण

इस योजना में प्रस्तावित फ्लैट का विवरण आयवर्गानुसार निम्नानुसार है:-

तालिका-1

क्र.सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल (सुपर बिल्ट अप एरिया) (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत लाख (रुपये में)
1.	उच्च आय वर्ग	22	143	50.75
2.	माध्यम आय वर्ग (ब)	144	112	39.35

नोट:-

- फ्लैट की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त तालिका में फ्लैट की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा फ्लैट आवंटन के समय लागत सिद्धान्तों अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटन का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।
- स्टिक्ट/ओपन कवर्ड पार्किंग का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। जिन आवंटियों को स्टिक्ट पार्किंग आवंटित होगी उन्हें फ्लैट की लागत की 5 प्रतिशत राशि अलग से जमा करानी होगी तथा जिन आवंटियों को ओपन कवर्ड पार्किंग आवंटित होगी उन्हें फ्लैट की लागत की 2.5 प्रतिशत राशि अलग से जमा करानी होगी। इस राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर दिया जायेगा।

(iv) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क, पानी, बिजली के खर्च, स्ट्रीट लाइट, रेन-वाटर हार्बेस्टिंग, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एकमुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित किया जायेगा। उक्त राशि (फ्लैट की लागत के अतिरिक्त आवंटि द्वारा देय होगी) का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। रख-रखाव हेतु गठित सोसायटी का प्रारम्भिक रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा एवं कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटि कार्यकारिणी के सदस्य आवासीय अभियन्ता द्वारा मीटिंग बुलाकर मनोनीत किए जायेंगे। संबंधित आवासीय अभियन्ता / कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संगठित 6 माह के रख-रखाव के खर्चों के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. बनवाई जाएगी। उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख-रखाव पर किए जाने वाले व्यय का लेखा-जोखा रखा जाएगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

यह आवासीय योजना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना में स्थित है। इस आवासीय योजना की प्रमुख स्वत्वों से दूरी निम्न है :-

1	जोधपुर रेलवे स्टेशन	05.00 कि.मी.
2	केंद्रीय बस अड्डा	08.00 कि.मी.
3.	सम्राट अशोक उद्यान	200 मीटर

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

फ्लैट का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास / फ्लैट का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर अथवा किसी दो शहरों में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट पंजीकरण, स्वयंसेवित पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में फ्लैट आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है तो वह इस योजना में फ्लैट आवंटन का पात्र नहीं होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही फ्लैट आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी / पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास / मूखण्ड नहीं होना चाहिए।
4. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक को पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र 'आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) को नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)

5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक फ्लैट का आवंटन नहीं किया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई फ्लैट आवंटित किया गया है।
7. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग से ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जाएगी। वरीयता वर्षवार/श्रेणीवार निर्धारित की जाएगी।
8. मण्डल द्वारा फ्लैट के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

तालिका-2

क्र. सं.	ग्रुप	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा	मह. श्रेणी में आरक्षित अंश	मह. श्रेणी में आवंटित अंश
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	4 2	26 15
2	जी-2	सामान्य श्रेणी - प्रथम द्वितीय - प्रोफेशनल्स श्रेणी (एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर)	29 प्रतिशत 5 प्रतिशत	6 1	42 7
3	जी-3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	1 प्रतिशत	0	2
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	4	23
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	3	17
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिलेखित पत्रकार	1.5 प्रतिशत	0	2
7	जी-7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	0	1
8	जी-8	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	3 प्रतिशत	1	4
9	जी-9	विकलांग (अंधता/सारीरिक/भूक बधिर)	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत	1	4
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	1 प्रतिशत	0	1
		योग	100 प्रतिशत	22	144

नोट:-

- I. उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक फ्लैट आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित फ्लैट अन्वर्तित कर सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे।
 - II. श्रेणीवार आच्छादन क्लेड अनुसार आवरणक प्रमाण पत्र/हस्त-पत्र स्वीकृति लौटरी में सफल घोषित होने पर अनिवार्य-रूप से वेना होगा अन्वर्तित आवेदक का पंजीकरण निरस्त कर नियमानुसार कटीति कर शेष राशि लौटा दी जायेगी।
9. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/ आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटीती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
 10. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक-व्याय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-ब के आवेदकों द्वारा रुपये 2000/- तथा 1500/- क्रमशः देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जाएगा।
 11. इस योजना में तालिका-1 में दर्शाई गई फ्लैट की अनुमानित लागत की लगभग 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि तथा प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :-

तालिका-4

आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल देय राशि (रुपये में)
मध्यम आय वर्ग-ब	4,50,001/- से 6,00,000/- तक	393500/-	1500/-	395000/-
उच्च आय वर्ग	6,00,001/-से अधिक	507500/-	2000/-	509500/-

- अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस की राशि पूरी जमा करानी होगी।
 - ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना, वायुसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी वीरगणनाएँ निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस की राशि पूरी जमा करानी होगी।
12. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट से ऑन-लाईन ही भरे जायेंगे या रु. 30/- का भुगतान कर लोक मित्र के कार्डरट से भी भरे जा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक पंजीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि आवेदक सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / क्रेडिट कार्ड के माफत जमा कराया सकता है या चालान प्रिन्ट कर सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3371326315 आई.एफ.एस.सी. कोड CBIN0283291 में किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में जमा कराया सकते हैं। निर्धारित तिथि के परचाए प्राप्त पंजीकरण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

13. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए -

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. राहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से आय
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार एवं विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जावेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (हिना ब्याज) नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बैंक से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में देखावत बैंक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जावेगा।
15. मण्डल द्वारा एक शहर में एक ही समयावधि में विभिन्न वृत्तों में एक साथ योजनाएँ आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आश्रित होने पर उसे किसी एक योजना में फ्लैट प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छुपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आएगा तो आवेदक एक ही फ्लैट हेतु योग्य रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।
16. स्वचित पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी होने पर आरक्षण पत्र जारी किया जावेगा। आवेदक की आरक्षण पत्र में निम्नानुसार राशि देय होगी :-

तालिका-4

क्र. सं.	आवासों/फ्लैट का प्रकार	किस्त	आरक्षण पत्र में प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	बहुमण्डले आवास	प्रथम किस्त	1 माह	15.0 %
		द्वितीय किस्त	4 माह	15.0 %
		तृतीय किस्त	7 माह	15.0 %
		चतुर्थ किस्त	10 माह	15.0 %
		पंचम किस्त	13 माह	10.0 %
		षष्ठम् किस्त	16 माह	10.0 %
		सप्तम् किस्त	19 माह	10.0 %

17. स्वचित पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः फ्लैट का आवंटन औबदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किस्तें जमा होने पर ही किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में फ्लैट का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की न्यूनतम एक किस्त जमा होने के पश्चात् भी फ्लैट का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा। फ्लैट के निर्माण के समय आवंटनी देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माणधीन फ्लैट के अवलोकन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट का निर्माण कार्य "डिपोजिट कार्य" की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (अ) आवेदकों को तालिका-4 के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किरतों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किरत की राशि पर आवेदक द्वारा 6 माह तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्त्री/ब्याज देना होगा। इसके पश्चात आवेदक का आरक्षण/आवंटन निरस्त करने के लिए मण्डल स्वतंत्र रहेगा।
- (ब) तालिका-4 के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किरतें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा।
19. इस स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किरत में किया जायेगा तथा शेष राशि तालिका-4 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा।
20. प्रस्तावित योजना, आवेदकों की वरीयता निर्धारण के पश्चात, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।
21. विफण्ड
- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई सफल आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना प्रोसेसिंग फीस एवं ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना प्रोसेसिंग फीस एवं ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किरतें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना प्रोसेसिंग फीस एवं ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।

- (v) यदि स्ववित्त पोषित योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता पूर्व पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या (प), (पप), (पपप) एवं (पअ) के अनुसार कटौती की जावेगी तथा आवेदनकर्ता का पूर्व पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जावेगा।
- (vi) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही सीमित होगी।
221. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे अहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आबंटी को, आबंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेंसी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आबंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर-टेकिंग देने पर ही आबंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जावेगा।
23. फ्लैट आबंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों/मण्डल की वेबसाइट के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किरतें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आबंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
24. मण्डल निर्मित फ्लैट की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारण करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
25. मण्डल द्वारा आवंटित आवास/ फ्लैट का आबंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें फ्लैट की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फ्लैट की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा फ्लैट का आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लैट के आबंटन पत्र में वर्णित विविध खर्चे देय होंगे जिनका फ्लैट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:-
- (क) ए.एस.सी. चार्ज : यह राशि फ्लैट की कुल लागत का 3 प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) लीज राशि : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ग) सेवाकर : यह राशि आबंटन पत्र की कुल मांग राशि की 3.09 प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगी।
- (घ) **विविध शुल्क** - मण्डल के आबंटियों द्वारा दायर विभिन्न परिवारों के लिए मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय हेतु उच्च आय वर्ग हेतु रु. 2000/- तथा मध्यम आय वर्ग-ब हेतु रु. 1000/- की राशि वसूलनीय होगी।

अन्य स्टाफ :

- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर प्लॉट के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जावेगी।
- (ii) शोध सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा वसूलनीय कर तथा सर्वेस टैक्स, सेस आदि भी समय-समय पर मांग अनुसार आवंटि को चुकक से जमा करवाने होंगे।
27. मण्डल के प्लॉट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। प्लॉट में आवंटि किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं कर सकेंगे और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्लॉट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटि को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास/प्लॉट सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर, सेवा कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के गिवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटि को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि प्लॉट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा प्लॉट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी एवं मण्डल आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
30. बिन्सी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटि को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
31. मंडल अपनी योजनाओं/प्लॉट में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटि को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में प्लॉट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटि का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटि को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिवर्तित होना चाहिये और कब्जा लेने के बाद में किसी आगामी स्तर पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

35. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उप आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, दूता द्वितीय, सेक्टर-11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर कार्यालय के पते पर दें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन करते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात् ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहाँ सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले क्लिम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लें।
36. यदि आवेदक फ्लैट आबंटन के पश्चात् मंडल को देय राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करता है तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं होगी।
37. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैट लेना चाहता है।
38. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटस्थित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक को पंजीकरण आवेदन/आबंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
39. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चरपा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

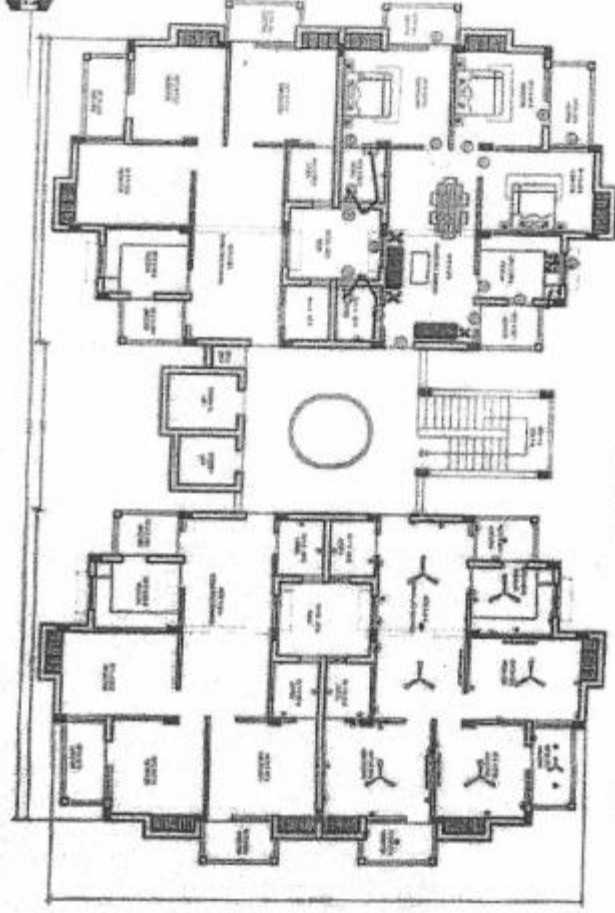
- i- इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम हो।
- ii- दो आवेदित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आवेदित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii- आवेदन-पत्र में आवेदक ने आवेदक के स्वरूप वाले कौशल में वैज्ञानिक अथवा अवैज्ञानिक का उल्लेख नहीं किया हो वे प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैज्ञानिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv- अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आवेदित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु एक अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (विशेषता सर्टिफिकेट में सफल होने पर) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v- 'आरक्षित श्रेणियों' अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सार्वजनिक रूप से पिछड़ा/युद्ध में शामिल हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधवाएँ/साक्षर/अक्षर/स्वीकृत पत्रधार/स्वतंत्रता सेनानी/वीर पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐरोयड/औद्योगिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि को द्वारा आवेदन पत्र में वी गैर सूचना अनुसार अर्जित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति विशेषता सर्टिफिकेट में सफल होने पर प्रस्तुत करनी होगी।
- vi- आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन प्रति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु से हो किया जा सकेगा।
- vii- सर्टिफिकेट से जो वी आवास/फ्लैट आवेदित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- viii- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- ix- फ्लैट आवेदन/कच्चे के बाद फ्लैट का रख-रखाव स्वयं आवेदक द्वारा किया जायेगा।
- x- योजना के तहत कोई भी वार्षिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- xi- योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।
- xii- आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्यक् निर्धारित विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xiii- आवेदक से यह उम्मीद की जाती है कि उनको आवेदित फ्लैट में उपलब्ध कचड़ा गैर चमी सुविधाओं को गली-मोति देख ले। आवेदक द्वारा मण्डल से कचरा प्राप्त करने के पश्चात् फ्लैट/आवास में किसी कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।
- xiv- जनक योजना के माध्यम से आवेदित फ्लैट किसी कारणों से यदि निरस्त किया जाता है या अवशेष हो जाता है तो ऐसे अवशिष्ट आवास/फ्लैट का निस्तर्जन खुली निवृत्ति योजना अथवा नीलामी के माध्यम से करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
जोधपुर	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त द्वितीय, सैक्टर-11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर दूरभाष नं.: 0291-2711912 सम्पदा प्रबन्धक 0291-2711912 आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, जोधपुर फोन नं. 0291-2700180 आनलाइन फार्म भरने में यदि किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो कृपया सम्पर्क करें कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय - 0141-2740648, 0141-2740860 संयुक्त निदेशक - 9672988036 लोकनित्र हेल्प लाइन-1800 180 6127 ई-मेल, -helpdesk@rhbmil.in info@rhbmil.in, acprhb@yahoo.co.in

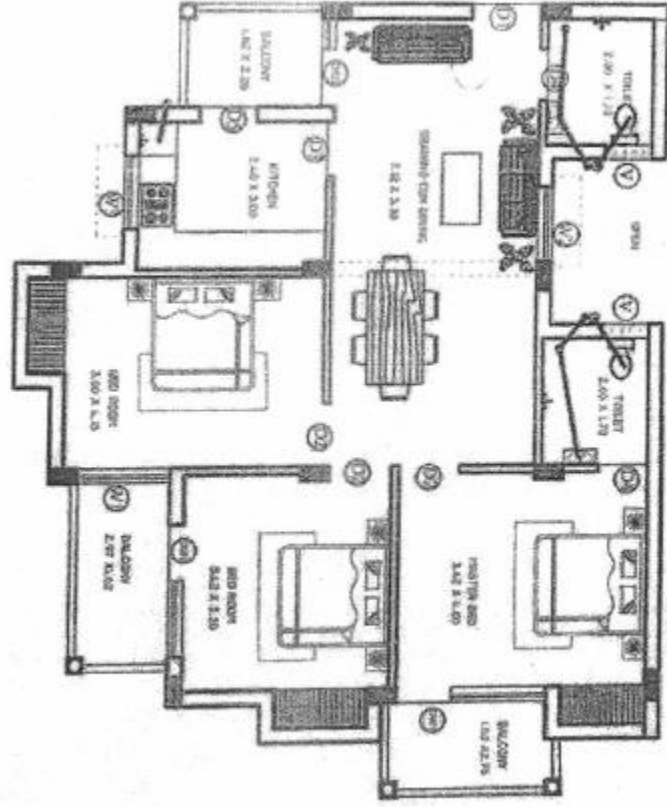
[illegible]

हस्ताक्षर आवेदक / आवेदिका
नाम _____

दिनांक _____
स्थान _____

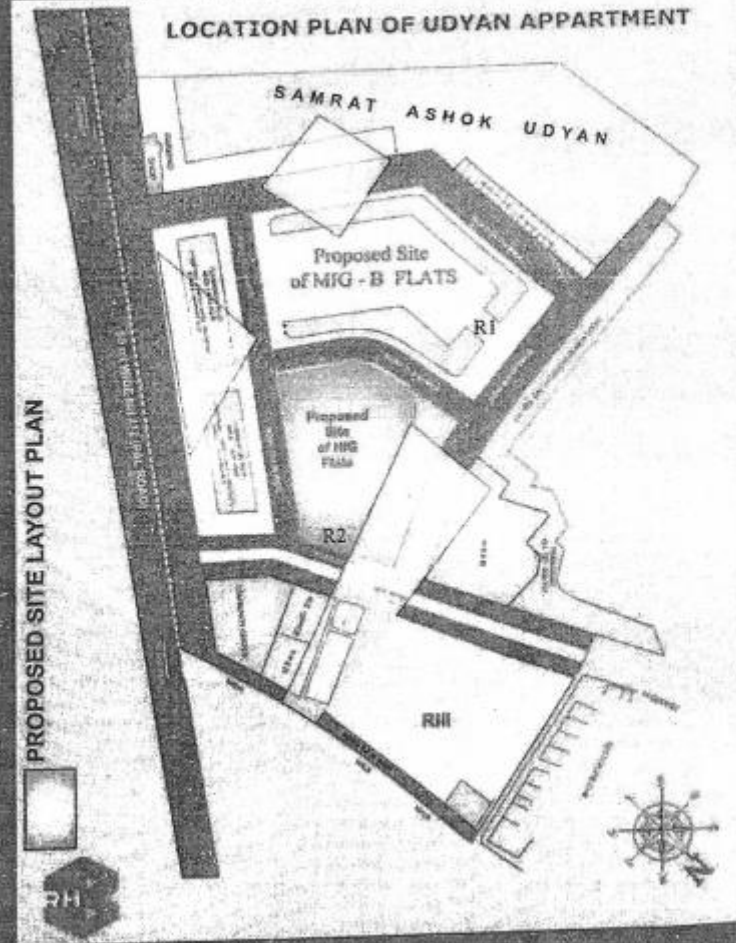


TYPICAL PLAN MIG 'B'



SINGLE FLAT PLAN MIG 'B'

LOCATION PLAN OF UDYAN APPARTMENT



[illegible]